अनुबंध - I पैरा
(सं. 2.1 (i) , 4.1 और 5.1 देखें)
भेल की क्षमता विस्तारण योजनाएं (चरण- II)

₹ करोड़ में

क्रम सं.	यूनिट का नाम	पूंजी निवेश योजना	योजना की अनुमानित लागत	पूरा करने के निर्धारित समय	पूरा करने का वास्तविक/प्रत्यशित महीना	महीनों में देरी	क्या लेखापरीक्षा के लिए चयन हुआ
1	एचईईपी हरिद्वार	उन्नत ब्लेड 10020 मे.वा. की सुविधाओं सहित स्टीम टरबाइन हेतु पूंजी निवेश का प्रस्ताव	774.23	अक्तूबर 2009	दिसम्बर 2014	62	हाँ
2	एचईईपी हरिद्वार	10020 मेगावाट की टरबो जेनरेटर सुविधाओं की वृद्धि हेतु पूंजी निवेश प्रस्ताव	220.27	अक्तूबर 2009	अक्तूबर 2014	60	हाँ
3	एचपीईपी हैदराबाद	स्टीम ट्रबाइनों के लिए क्षमता विस्तार हेतु पूंजी निवेश प्रस्ताव	191.96	दिसम्बर 2009	नवम्बर 2012	35	हाँ
4	एचपीईपी हैदराबाद	नये ब्लैड शाप की स्थापना हेतु पूंजी निवेश प्रस्ताव	105.96	अक्तूबर 2009	सितम्बर 2012	36	हाँ
5	एचपीईपी हैदराबाद	सं.187 से 280 तक पम्पों की विनिर्माण क्षमता सवर्धन	88.17	अक्तूबर 2009	अगस्त 2012	35	हाँ
6	एचपीईपी -हैदराबाद	प्रतिवर्ष 2720 मैगावाट तक की औसत क्षमता के 47 जनरेटरों के निर्माण के लिए सुविधाएं बढ़ाना	92.6	दिसम्बर 2009	दिसम्बर 2012	35	हाँ
7	टीपी-झांसी	8500 एमवीए से 15000 एमवीए तक के 220 के वी श्रेणी तक के बिजली ट्रांसफार्मरों की विनिर्माण क्षमता का संवर्धन	94.2	अक्तूबर 2009	अगस्त 2012	34	हाँ
8	एचईपी- भोपाल	765 केवी श्रेणा एचवीडीसी तथा उच्च रेटिंग के ट्रांसफार्मरों के लिए "नये ब्लॉक" हेतु पूंजी निवेश प्रस्ताव	131.55	जून -08	मई 2011	35	हाँ
9	एचपीबीपी- त्रिची	"बायलर शापों की क्षमता वृद्धि" हेतु पूँजी निवेश प्रस्ताव	731.72	दिसम्बर 2009	जुलाई 12	31	हाँ
10	एचपीबीपी-त्रिची	वाल्व शापो की क्षमता 7850 एमटी से 13800 एमटी तक बढ़ाने तथा उच्च रेटिंग बॉयलरो तथा ओएसटीसी हेतु वाल्व निर्माण के लिए क्षमता बढ़ाना	93.39	दिसम्बर 2009	जुलाई 2012	31	हाँ
11	सीएफएफपी- हरिद्वार	फाउन्ड्री ग्रुप, आरएमएस, क्यूएम तथा सेवा की क्षमता का विस्तार प्रस्ताव	48.64	दिसम्बर 2008	फरवरी 2013	50	हाँ
12	सीएफएफपी -हरिद्वार	फोर्जिंग के लिए क्षमता विस्तार	48.63	दिसम्बर 2009	दिसम्बर 2013	48	हाँ
13	सीएफएफपी -हरिद्वार	कांस्टिंग का क्षमता विस्तार चरण - II	13.11	मार्च 2010	जुलाई 2013	40	हाँ
14	ईडीएन- बैंगलोर	नियंत्रण उपकरण का निर्माण क्षमता में वृद्धि	29.49	दिसम्बर 2009	मार्च 2011	15	हाँ
कुल			**2663.92**				

भेल की क्षमता विस्तारण योजनाएं (चरण-III)

₹ करोड़ में

क्र.सं.	यूनिट का नाम	पूंजी निवेश योजना	योजना की अनुमानित लागत	पूरा करने का निर्धारित समय	पूरा करने का वास्तविक/प्रत्याशित महिना	महिनों में देरी	क्या लेखापरीक्षा के लिए चयन हुआ
1	एचईईपी- हरिद्वार	थर्मल सेटों की क्षमता का 10020 मेगावाट से 13020 मेगावाट तक संवर्धन	309.16	दिसम्बर 2011	दिसम्बर 2014	36	हाँ
2	एचपीबीपी- त्रिची	बायेलर और बाल्व शापस की क्षमता वृद्धि चरण III हेतु पूंजी निवेश प्रस्ताव	485.29	दिसम्बर 2011	अगस्त 2012	07	हाँ
3	एचपीईपी -हैदराबाद	भेल की 20000 मेगावाट क्षमता के अनुरूप एचपीईपी की विनिर्माण क्षमता का संवर्धन	697.8	दिसम्बर 2011	जून 2013	17	हाँ
कुल			**1492.25**				
कुल जोड़ (चरण II + चरण III)			**4156.17**				

अनुबंध II
(पैरा सं. 2.1 (ii)देखें)
यूनिट - समीक्षा के लिए चयनित

(ए) मार्केटिंग यूनिट

(i) विद्युत क्षेत्र

(ii) उद्योग क्षेत्र

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय ऑपरेशन डिवीजन

(बी) कार्पोरेट कार्यालय

(सी) विनिर्माण इकाईः

(i) भारी विद्युत उपकरण संयंत्र (एचईईपी) और सेन्ट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट (सीएफएफपी), हरिद्वार,

(ii) भारी विद्युत संयंत्र (एचईपी) भोपाल,

(iii) ट्रांसफार्मर प्लांट (टीपी) झांसी,

(iv) भारी विद्युत उपकरण संयंत्र (एचपीईपी), हैदराबाद,

(v) उच्च दाब बायलर प्लांट और सीमलेस स्टील प्लांट (एचपीबीपी), त्रिचि,

(vi) बायलर एक्सलरीज़ प्लांट (बीएपी), रानीपेट और

(vii) इलेक्ट्रानिक्स डिवीजन (ईडीएन), बैंगलोर

(डी) कार्पोरेट आर एण्ड डी, हैदराबाद,

(ई) **बीओपी यूनिटः** प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट (पीईएम), नोएडा

(एफ) **मरम्मत प्लॉटः** भारी उपस्कर मरम्मत प्लांट (एचईपीआरपी), वाराणसी

अनुबंध III

(पैरा सं. 6.1देखें)

घोषित संस्थापित क्षमता तथा उसकी उपयोगिता

क्र. सं.	उपकरणों के नाम	यूनिट	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
			संस्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	संस्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	संस्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	संस्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	संस्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन
1	स्टीम/ न्यूकलियर टरबाइन (मेगावाट में)	**एचईपी भोपाल**	250	250	250	0	250	0	250	0	250	666
		एचपीईपी हैदराबद	695	1156	1140	1118.87	1140	797.4	1630	1913	1630	1818
		एचईईपी हरिद्वार	5750	2530	5750	4960	5750	2355	10020	2900	10020	11762
	कुल		**6695**	**3936**	**7140**	**6078.87**	**7140**	**3152.4**	**11900**	**4813**	**11900**	**14246**
2	हाइड्रो टरबाइन (मेगावाट में)	**एचईपी भोपाल**	2500	1284	2500	835	2500	785	2500	1149	2500	854
		एचईईपी हरिद्वार (हाइड्रोसेटस)	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल		**2500**	**1588**	**2500**	**835**	**2500**	**785**	**2500**	**1149**	**2500**	**854**
3	गैस टरबाइंन (मेगावाट में)	**एचपीईपी हैदराबाद**	480	396	992	999.1	992	1287.7	1090	1722	1090	652
		कुल	**480**	**396**	**992**	**999.1**	**992**	**1287.7**	**1090**	**1722**	**1090**	**652**
	टरबाइनों का सकल जोड़		**9675**	**5920**	**10632**	**7912.97**	**10632**	**5225.1**	**15490**	**7684**	**15490**	**15752**
4	जेनरेटरस (मैगावाट में)	**एचईपी भोपाल**	2500	869	2500	658	2500	1399	2500	1286	2500	380
		एचपीईपी हैदराबाद	1360	1630	1947	1971	1947	1627	2720	2627	2720	2418
		एचईईपी हरिद्वार	5750	2530	5750	4960	5750	2355	10020	2900	10020	9480
	कुल		**6610**	**5029**	**10197**	**7589**	**10197**	**5381**	**15240**	**6813**	**15240**	**12278**
5	बॉयलरस (मेगावाट में	**त्रिचि**	108000	305423	411497	439187	481162	545045	481162	595939	714538	686602
	कुल		**108000**	**305423**	**411497**	**439187**	**481162**	**545045**	**481162**	**595939**	**71458**	**686602**
6	विद्युत ट्रांसफार्मरस (मेगावाट में)	**एचईपी, भोपाल**	15000	**11986**	15000	15483	30000	14231	30000	18805	30000	23160
		टीपी झांसी	5500	5974	5500	6221	5500	4571	15000	7397	15000	9585
	कुल		**20500**	**17960**	**20500**	**21704**	**35500**	**18802**	**45000**	**26202**	**45000**	**32745**

क्र. सं.	उपकरणों के नाम	यूनिट	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
			संस्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	संस्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	संस्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	संस्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	संस्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन
7	कन्ट्रोल पेनल्स व उपकरण	**एचईपी, भोपाल (कन्ट्रोल उपकरण + कन्ट्रोल पेनल्स (नगों में)**	1200	1589	1200	1473	1200	1693	1200	1975	1200	1987
		ईडीएन, बैंगलोर (कन्ट्रोल उपकरण) (क्यूबिकल्स में)	2500	3058	4300	4073	4300	5897	4500	6649	7000	6109
8	स्विचगेअर (नगो में)	**एचईपी, भोपाल**	3000	4000	3000	3270	3000	2920	3000	2952	3000	4214
	कुल		**3000**	**4000**	**3000**	**3270**	**3000**	**2920**	**3000**	**2952**	**3000**	**4214**
9	पम्प सेटस (नगों में)	**एचपीईपी, हैदराबाद**	126	200	187	201	187	227	280	341	280	351
	कुल		**126**	**200**	**187**	**201**	**187**	**227**	**280**	**341**	**280**	**351**

अनुबंध IV

(पैरा सं. 6.3.2 (सी) देखें)

एचपीबीपी त्रिचि के संबंध में घटकों की अनुमानित और वास्तविक लागत में अन्तर का विवरण

क्र.सं.	पीओ संख्या	अनुमान	वास्तविक	अन्तर	
		राशि (₹ लाख में)	(₹ राशि लाख में)	(₹ राशि लाख में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5(3-4)	6(5/4)
1	आई3/1400	1223.17	942.54	(-) 280.63	(-) 29.77
2	आई3/1401	1223.17	661.99	(-) 561.18	(-) 84.77
3	आई3/1402	1223.17	660.81	(-) 562.36	(-) 85.10
4	आई3/1403	1223.17	693.24	(-) 529.93	(-) 43.32
5	यू2/0387	1965.38	1120.92	(-) 844.46	(-) 75.34
6	यू2/0388	1965.38	1021.93	(-) 943.45	(-) 92.32
7	यू5/0635	7594.55	4187.10	(-) 3407.45	(-) 81.38
8	यू5/0637	7594.55	3668.43	(-) 3926.12	(-) 107.02
9	यू1/0162	950.56	863.90	(-) 86.66	(-) 10.03
10	यू0/0435	433.98	345.07	(-) 88.91	(-) 25.77
11	यू5/0649	4584.80	3783.26	(-) 801.54	(-) 21.19
12	यू2/0385	1965.38	912.69	(-) 1052.69	(-) 115.34
13	यू2/0386	1965.38	796.73	(-)1168.65	(-) 146.68
14	यू5/0639	4817.61	3157.18	(-)1660.43	(-) 52.59
15	यू5/0640	4817.61	2988.78	(-) 1828.83	(-) 61.19
16	यू5/0656	4244.76	2863.22	(-) 1381.54	(-) 48.25
17	यू5/0647	5330.83	3210.58	(-) 2120.25	(-) 66.04
18	यू5/0648	5330.83	2628.19	(-) 2702.64	(-) 102.83
19	यू5/0645	5639.58	3562.73	(-) 2076.85	(-) 58.29

अनुलग्नक V

(पैरा सं. 6.3.4 देखें)

2010-11 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं.10 के अध्याय VI में अनुवर्ती कार्रवाई में देखी गई लेखापरीक्षा आपत्तियों एवं कमियों का मुद्देवार विवरण।

क्र.सं.	आपत्ति	प्रबंधन उत्तर	आगे टिप्पणियां
1	**खरीद नीति और खरीद पद्धतियां** खरीद नीति और पद्धतियों में विभिन्न कमियां देखने पर, यह सिफारिश की गई कि भेल की यूनिटों द्वारा खरीद नीति पर समान रूप से विस्तृत दिशानिर्देश विकसित करने की आवश्यकता है। प्रबंधन ने अपनी एटीएन रिपोर्ट (अक्तूबर 2011) में सूचित किया कि संशोधित खरीद नीति अनुमोदनाधीन थी। हालांकि आगे प्रबंधन के उत्तर (जनवरी 2012) के अनुसार, संशोधित खरीद नीति के प्रस्तावित सार्वजनिक खरीद अधिनियम को ध्यान में रखते हुए रोके रखा गया था। इस प्रकार संशोधित खरीद नीति की मंजूरी न होने के कारण प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों/सिफारिश पर कार्रवाई नहीं की गई थी। (2010-11 की रिपोर्ट-10 का *पैरा सं. 6.6.2 और सिफारिश सं. 6.1* देखें)	प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2013) कि संशोधित क्रय नीति 2013 को अब निदेशक मंडल द्वारा 22 मार्च 2013 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इसे 8 अप्रैल 2013 कर दिया गया हैं।	प्रबंधन ने आश्वासन दिया था (जनवरी 2010) कि क्रय समिति का गठन ₹ पाँच करोड़ से अधिक की सभी अधिप्राप्तियों के लिए अनिवार्य होगा जबकि क्रय नीति 2013 के खंड सं. 11.2 के अनुसार ₹ 20 करोड़ से अधिक की निविदा के लिए क्रय समिति का गठन अनिवार्य है।
2	**सीमित/एकल निविदा द्वारा अधिप्राप्ति** लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया था कि 2006-09 के दौरान 94 प्रतिशत ठेके सीमित एकल निविदा के आधार पर प्रदान किये गए थे। इसके अतिरिक्त 2009-10 और 2010-11 के दौरान की गई समीक्षा में पाया गया कि सीमित एकल निविदा द्वारा अधिप्राप्ति क्रमशः 94.10 प्रतिशत और 90.00 प्रतिशत थी। इस प्रकार अधिप्राप्ति प्रणाली के कोई सुधार नहीं हुआ था। *(2010-11 की रिपोर्ट सं. 10 का पैरा सं. 6.6.3.1 देखें)।*	प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2013) कि संशोधित अधिप्राप्ति नीति 2013 का खंड सं. 3.0 विक्रेता आधारित विस्तार मुहैया कराने पर जोर देता है, विशेषकर वहां जहां उत्पाद सामग्री निर्देशिका (पीएमडी) में एक मद के लिए कम से कम चार विक्रेता हों। इसके अतिरिक्त खंड 5.2.2 (सीमित निविदा) में प्रावधान	और कोई टिप्पणी नहीं। तथापि संशोधित नीति के अनुपालन की लेखापरीक्षा मे निगरानी की जाएगी।

		है कि "पीएमडी में जब कभी चार से कम पंजीकृत आपूर्तिकर्ता हों, तो यह रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कि खंड 3.4 के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। जब खरीद एकल निविदा से हो जहां पीएमडी में केवल एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता है उसको निम्नलिखित की पूर्ति के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है (क्ला. 5.3.1 (जे)): i) कॉलम 3.4 में प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। ii) जिस मामले में, निविदा की अनुमानित कीमत ₹ 20 लाख से अधिक है, तो यह रिकार्ड किया जाएगा कि अधिप्राप्ति के लिए खुली निविदा का सहारा अन्तिम वित्तीय वर्ष में लिया गया है और कोई योग्य उत्तर नहीं था। क्रय नीति 2013 भी विशिष्ट एकल निविदा क्रय के लिए समीक्षित तंत्र निर्दिष्ट करती है।	
3	**निविदा मूल्यांकन में विचलन के लिए लोडिंग में असंगति** लेखापरीक्षा ने पाया था कि वितरण प्रणाली में विचलन के लिए लोडिंग हेतु समान दिशानिर्देश नहीं थे, भेल में निर्धारित भुगतान शर्तों में विचलन के मामलों में	प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2013) कि प्रस्तावित दिशानिर्देश संबंधित समूहों के साथ चर्चाधीन है तथा	प्रबंधन तकनीकी- वाणिज्यिक विचलन और एकसमान लोडिंग के मूल्यांकन पर दिशानिर्देश जारी करने को सहमत हुआ था

	ब्याज लोड किया जाना शामिल नहीं था, जिसके कारण विभिन्न यूनिटों ने निविदा के मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई थी। भेल ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी (अप्रैल 2010) में सूचित किया कि निविदा मूल्यांकन के लिए एक-समान लोडिंग मानदंड दिशानिर्देश स्वीकृति के अग्रिम चरण पर था। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रस्तावित दिशानिर्देश अभी तक स्वीकृत किए जाने है। इस प्रकार निविदा मूल्यांकन प्रणाली में आज की तारीख तक कोई सुधार नहीं हुआ *(2010-11 की रिपोर्ट सं 10 का पैरा सं. 6.6.3.2 देखें)*	इन्हें दिसम्बर 2013 तक जारी करने की योजना है।	परन्तु वह अभी भी अनुमोदनाधीन है।
4	**लागत अनुमान** लेखापरीक्षा ने यूनिटों (ट्रांसमिशन व्यापार समूह और परियोजना इंजीनियरिंग प्रबंधन यूनिट) द्वारा अपनाई गई आकलन प्रक्रियाओं में विभिन्न कमियां पाई थीं क्योंकि सामग्री की खरीद हेतु तैयार किए गए आकलन या तो बजटीय उद्धरण या मूल्य वृद्धि में, एकरूपता के बिना उन्हीं मदों के पिछले खरीद मूल्य पर आधारित थे। प्रबंधन ने उनके लिए (जनवरी 2010) आश्वासन देने के बाद भी लागत आकलन निर्देश जारी नहीं किये। *(2010-11 की रिपोर्ट-10 के पैरा सं. 6.6.3.3 देखें)*	 प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2013) कि खरीद की प्रकृति और व्यापक दायरे पर विचार करते हुए, सूचनाओं के विभिन्न स्रोतों के बीच वरीयता का आदेश निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि समग्र दृष्टिकोण उपलब्ध जानकारी पर विचार करके लिया जाना है। दिशानिर्देशों का उद्देश्य मांगकर्ता को अनुमान बनाते समय एक वस्तुपरक उद्देश्य बनाने के लिए सक्षम बनाना है।	 लेखापरीक्षा, प्रबंधन द्वारा प्रणाली में सुधार करने के लिए की गई कार्रवाई की सराहना करता है। हालांकि संशोधित दिशानिर्देश अनुबंधित करते हैं कि आकलन इस तरह के पहले खरीदे गए उपकरण के ऊपर वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि एक समान लागू करके तैयार नहीं किए जाने चाहिए और इसे उपकरण सांकेतिक बाजार दर/बजटीय प्रस्ताव/पिछली खरीद मूल्य आर्थिक सूचकांक आदि के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए; कीमतों के आंकलन के लिए उपयोग की जाने वाली सूचना के विभिन्न स्त्रोतों के बीच प्राथमिकता के आदेश निर्धारित कर उद्देश्यपूर्णता और पारदर्शिता लाने की गुंजाईश है।
5	**सीमित विक्रेता आधार** लेखापरीक्षा ने देखा कि भेल की यूनिटों में विक्रेता आधार बहुत ही सीमित था और भोपाल हरिद्वार, हैदराबाद, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग प्रबंधन नोएडा तथा एचपीबीपी-	 प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2013) कि विक्रेता आधार को बढ़ाने के लिए लगातार जोर दिया जा रहा है जिसके	 प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए विक्रेता आधार के विस्तार की जरूरत है।

	तिरूचिरापल्ली यूनिटों ने क्रमशः 538,286, 16, 302 में एक पंजीकृत विक्रेता था तथा 8 सामग्री समूह थे। लेखापरीक्षा ने विक्रेता पंजीकरण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और देखा कि भेल ने 2010-11 के दौरान अपना विक्रेता आधार 3455 तक बढ़ा दिया था परन्तु भेल अभी भी सामग्री श्रेणियों की बड़ी संख्या (1120) के लिए एकल विक्रेता पर निर्भर है। इस प्रकार भेल अधिप्राप्ति अभी तक एकल विक्रेता पर निर्भर है तथा इसमें प्रतिस्पर्धा का अभाव है क्योंकि वर्ष 2010-11 के दौरान की गई 90 प्रतिशत खरीद (₹ 27187 करोड़) सीमित/एकल निविदा के माध्यम से की गई थी। सिफारिश के परिणामस्वरूप भेल को कम विक्रेता आधार को ध्यान में रखते हुए अपनी सीमित निविदा की समीक्षा करने और अधिक प्रतिस्पर्धा लाने की जरूरत है, जिसे पूरी तरह से लागू किया जाना है। *(2010-11 की रिपोर्ट सं. 10 के पैरा सं. 6.6.4.2 और सिफारिश सं. 6.2 (ए) देखें)।*	परिणामस्वरूप क्रमशः 2011-12 में 1700 और 2012-13 में 1900 अतिरिक्त नये विक्रेता जुडने से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। सामग्री लागत भी उत्पाद शुल्क को घटाते हुए सकल पूंजी के 57.7 प्रतिशत तक कम हो गई है।	
6	**विक्रेता पंजीकरण में विलम्ब** लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विक्रेताओं के पंजीकरण के विलम्ब के संदर्भ में लेखापरीक्षा ने 30 सितम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार आपूर्तिकर्ता पंजीकरण के संबंध में दी गई सूचना का विश्लेषण किया (जनवरी 2012) और पाया कि पंजीकरण हेतु 783 लंबित आवेदनों में से 284 आवेदन *(36 प्रतिशत) 6 महीने से अधिक पुराने थे।* इससे पता चलता है कि विक्रेताओं के पंजीकरण में विलम्ब अभी भी आवेदनों की पर्याप्त संख्या में कायम है। *(2010-11 की रिपोर्ट-10 के पैरा सं. 6.6.4.4 (बी)देखें)।*	प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2013) कि सुधार लाने के दृष्टिकोण से, वर्ष 2013-14 के लिए इसे सभी यूनिटों के बैलेंस स्कोर कार्ड का भाग बना दिया गया है।	हालांकि हम प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई की प्रशंसा करते हैं, प्रबंधन ने विक्रेता पंजीकरण में विलम्ब से बचने के लिए तय लक्ष्य के बारे में सूचित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त प्रबंधन से वर्ष 2013-14 के लिए सभी यूनिटों का शेष स्कोर कार्ड (बीएससी) उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया था, जिसे अभी तक (सितम्बर 2013) उपलब्ध कराया जाना शेष है।

7	**विक्रेता डाटा बेस और अद्यतित करने में कमियां** **लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित कमियां बताई गई थीः-** • उस विक्रेता को खरीद आदेश देना, जिसे उत्पाद सामग्री निर्देशिका (ट्रांसमिशन बिजनेस समूह में) में सूचीबद्ध नहीं किया गया था। • उसी सामग्री श्रेणी (हरिद्धार, हैदराबाद और एचपीबीपी त्रिचुरापल्ली) में विभिन्न आकार/ क्षमता के लिए विक्रेताओं का सामग्री कोड-वार पंजीकरण आबंटित नहीं किया जा रहा तथा • आपूर्तिकर्ता सूची में तीन साल में एक बार किये जाने के लिए अपेक्षित संशोधन नहीं किया जा रहा था (पीएसडब्ल्यूआर नागपुर) केन्द्रीयकृत विक्रेता डाटावेस को अधिक व्यापक और एकीकृत बनाया जाना चाहिए ताकि विक्रेताओं के निष्पादन की मानीटरिंग सम्भव हो सके। *{2010-11 की रिपोर्ट-10 के पैरा सं. 6.6.4.5 (सी) एवं (डी) तथा अनुशंसा सं. 6.3 देखें}।*	प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2013) कि केन्द्रीकृत वेब आधारित हेतु आपूर्तिकर्ता पंजीकरण प्रणाली को विकसित किया जा रहा है और उसके दिसम्बर 2013 तक शुरू करने की योजना बनाई गई है जिससे अन्ततः केन्द्रीकृत विक्रेता डाटाबेस का प्रबंधन चरणबद्ध तरीके से हो पाएगा।	लेखापरीक्षा की गई कार्रवाई की यथा समय जॉच करेगी।
8	**निविदा प्रक्रिया में विलम्ब** (नीति (खंड आईएस) के अनुसार, यूनिटों को उत्पाद की जटिलता पर आधारित सामग्री/घटक के विभिन्न प्रकारों के लिए क्रय समय सीमा (अर्थात मांग-पत्र की तारीख जाँच प्रस्तुत करने, आदेश देने और सामग्री की प्राप्ति) के मानदंड तैयार और निर्धारित करने चाहिए। एचपीबीपी-त्रिची को	प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2013) कि इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए क्रय मांग को क्रय आदेश में 75 दिन के अंदर परिवर्तित करने के	हमने प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई की प्रशंसा करते समय प्रबंधन को वर्ष 2013-14 के लिए सभी यूनिट बैलेंस स्कोर कार्ड (बीएससी) मुहैया करने का अनुरोध किया गया था जो अभी तक मुहैया किया जाना है

	छोड़कर यूनिटों द्वारा ऐसा कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया था जबकि क्रय मांग को क्रय आदेश में परिवर्तन के लिए 60 दिन से 120 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रबंधन ने अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी (मई 2011) में कहा कि उपरोक्त क्रय नीति का प्रावधान सामग्री मुखिया की बैठक में यूनिटों के लिए दोहराया गया है और यूनिटों को भी क्रय मांग (पीआई) को क्रय आदेश (पीओ) में परिवर्तन के समय के पैमाने की मैपिंग आरंभ करने के लिए सूचित कर दिया गया है। तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि परियोजना अभियान्त्रिकी प्रबंधन यूनिट के वर्ष 2010-11 के दौरान किए गए 1949 से संबंधित 802 क्रय आदेशों (दस लाख रू. से अधिक मूल्य के) से संबंद्ध आकड़ों की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि पीआई से पीओ तक के रूप में परिवर्तित होने में 90 दिनों से अधिक लगे। इस प्रकार भेल की खरीद समय सीमा के लिए मापदण्ड विकसित तथा निर्धारित करने की जरूरत है। *(2010-11की रिपोर्ट 10 का पैराग्राफ सं. 6.6.5.1 देखें).*	लिए लक्ष्य एमओयू 2013-14 में सामग्री के लिए लिया गया है और नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है।	(सितम्बर 2013)।
9	**फिर से आदेश जारी न होना** हरिद्वार यूनिट में चार उत्पादों (₹ 139.06 करोड़ की कीमत के छः चयनित खरीद आदेश कवर करते हुए (नीति के अनुसार) के लिए फिर से आदेश जारी न होने के कारण ₹ 29.09 करोड़ का अतिरिक्त व्यय बताया गया था। क्योंकि प्रबंधन ने अपने एटीएन (मई 2011) में मामले का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था। प्रबंधन द्वारा मामले का अभी तक निपटान किया जाना शेष है। *(2010-11 की रिपोर्ट-10 का पैराग्राफ सं. 6.6.5.3 देखें)*	प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2013) कि फिर से आदेश जारी करने के मामले को रोजमर्रा के काम के रूप में नहीं किया जा सकता। यह बाजार की प्रचलित शर्तों से निर्देशित होता है।	उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जाना है कि लेखापरीक्षा आपत्तियां विद्यमान क्रय नीति में फिर से आदेश देने की शर्त के आधार पर की गई थी। प्रबंधन द्वारा वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

10	**वितरण तिथियों के बाद खरीद आदेश जारी किया जाना** लेखापरीक्षा ने पाया कि 310 खरीद आदेश (हैदराबाद यूनिट में 55, एचपीबीपी तिरूचरापल्ली यूनिट में 77, पीएस डब्ल्यू आर नागपुर में तीन पीईएम नोयड़ा में पांच, भोपाल में 170) इन यूनिटों द्वारा जारी मांग पत्र के साथ-साथ ग्राहकों को सुपुर्दी कार्यक्रम में दिखाए गए वितरण कार्यक्रम के बाद दिए गए थे परिणामस्वरूप निर्णीत हरजानों का भुगतान हुआ। प्रबंधन ने अपने एटीएन में (मई 2011) जनवरी 2010 में दिए गए उत्तर को दोहराया जिस पर रिपोर्ट में विधिवत विचार किया गया था। हालॉकि प्रबंधन ने यह भी बताया कि भेल में ईआरपी कार्यान्वयन को शुरू करना मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट सूची तथा सामग्री योजना की अधिक सटीकता से निगरानी के लिए एक समान मंच प्रदान करेगा। क्योंकि ईआरपी अभी तक कार्यान्वयनाधीन है प्रबंधन द्वारा परिकल्पित सुधार इसके कार्यान्वयन के उपरान्त ही देखा जा सकता है *(2010-11 की रिपोर्ट - 10 का पैराग्राफ सं. 6.6.5.4 देखें)।*	प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को नोट किया (अप्रैल/सितम्बर 2013)	ईआरपी प्रणाली भेल में अभी भी कार्यान्वयनाधीन है। अतः इसकी समीक्षा केवल कार्यान्वयन के बाद ही की जा सकती है।
11	**वितरण अवधि की पोस्ट अवार्ड ढील** भोपाल, हैदराबाद, नागपुर, ट्रान्समिशन व्यवसाय समूह नई दिल्ली तथा एचपीबीपी त्रिची यूनिटों मे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति में विलम्ब हुआ और 237 मामलों में क्रय आदेशों के अनुसार सहमत वितरण अवधि में अधिकतम 20 महीनों की ढील दी गई जिससे ग्राहकों को सामग्री की आपूर्ति में देरी हुई। प्रबंधन ने अपने एटीएन (मई 2011) में सूचित किया कि वितरण की अवधि की केवल उत्पादन परियोजना की आवश्यकताओं का विश्लेषण करने के बाद ही बढाया जाता है। हॉलकि, विलम्ब के कारण की बजट और निष्पादन (एमएपी) से	प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2013)। कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लगातार दो बार किए गए विलम्ब के लिए दण्डात्मक कार्रवाई व्यवसाय के दिशानिर्देशों में प्रस्तावित है जिस पर अभी अनुमोदन प्राप्त होना बाकी है।	कार्यवाही तो फिर भी की ही जानी है क्योंकि व्यवसाय संव्यहारों के विलम्बन के संशोधित दिशानिर्देशों का मसौदा अनुमोदनाधीन है।

	आगे लाकर निगरानी किये जाने की जरूरत है ताकि अपरिहार्य विलम्ब से बचा जा सके। *(2010-11 की रिपोर्ट 10 का पैराग्राफ सं. 6.6.5.7 देखें)*		
12	**संवेदनशील विभागों में रोटेशन नीति का अनुपालन न करना** कार्पोरेट दिशानिर्देशों के संवेदनशील क्षेत्रों से कर्मचारियों को चार वर्ष के बाद स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। इन दिशानिर्देशों को संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान न होने के कारण अभी भी कार्यान्वयनित किया जाना शेष है। क्योंकि नवीनतम एटीएन (अक्टूबर 2011) के अनुसार इस पर अभी काम हो रहा है। *(2010-11 की रिपोर्ट-10 का पैराग्राफ सं. 6.6.6 देखें)।*	प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2013) कि कार्यवाही हो रही है (दिसम्बर 2013 तक चलने की संभावना है)।	इस पर अन्तिम सुधारात्मक कार्रवाई अभी प्रतीक्षित है।

अनुलग्नक VI
(पैरा सं. 7.2 देखें)

तकनीकी सहयोगकर्ता करारों/समझौता ज्ञापनों की सूची

क्र.सं	तकनीकी सहयोगकर्ता का नाम	करार की तिथि तथा इसकी वर्तमान वैधता	सम्मिलित उत्पादों के नाम	सम्मिलित किये गए उत्पादों की सं.
1	मै. वोगट पॉवर इन्टरनेशनल इंक यूए.स.ए.	8 नवम्बर 1988 तथा मार्च 2017 तक वैध	नेचुरल सर्कुलेशन वेस्ट हीट स्टीम जेनरेटरों के निर्माण हेतु	1
2	मै. साइमनस ए जी, जर्मनी	अगस्त 1976 और सितम्बर 2021 तक वैध	स्टीम टरबाइनों और जनरेटरों के निर्माण हेतु	2
3	मै. जनरल इलेक्ट्रिक कं0, यू.एस.ए	जुलाई 1986 और अक्तूबर 2016 तक वैध	हेवी डयूटी गैस टर्बाइनों के विभिन्न माड्ल्स के निर्माण हेतु	1
4	मैसर्स अलस्टोम, फ्रांस	27 अक्टूबर 2005 तथा 26 अक्तूबर 2020 तक वैध	सुपर क्रिटिकल माप-दंडों सहित पावर प्लांट्स के लिए वंसथ्रू बॉयलरों और पुलवरिसरस के निर्माण हेतु	2
5	मै. मित्सुबिशी हेवी इण्डूस्ट्रीज लिमिटेड	31 मई 2007 और मई 2017 तक वैध	विभिन्न प्रकार के पम्पों के निर्माण हेतु	1
6	मै. शीफील्ड फोर्ज मास्टर्स इण्डटरनेशनल लिमिटेड (एसएफआईएल)	5 फरवरी 2010 तथा फरवरी 2020 तक वैध	1000 मे.वा. तक की बड़ी फोर्जिंग तथा मैचिंग जनरेटरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 500 मीट्रिक टन वजन तक की फोर्जिंग के लिए	1
7	मै. एनपी, इटली	15 जून 2010 तथा जून 2020 तक वैध	केवल सेन्ट्रीफुगल कम्प्रेशर के निर्माण हेतु	1
8	मै. नैशनल ऑयल वेल बेरकों (एनओवी) यूएसए (एमओयू)	22 मई 2010 तथा मई 2013 तक वैध	ऑयल रिग्स के निर्माण हेतु	1
9	मै. फलैण्डर, जर्मनी (एमओयू)	30 अक्टूबर 2004 तथा पांच वर्षों तक वैध	पुल वरिअरस और बाऊल मिलों के लिए बीवेल प्लेण्ट्री गिअर बॉक्सेस के निर्माण में तकनकी सहायता के लिए	1

10	मै. टी एल टी जीएमबीएच जर्मनी	19 अप्रैल 2002 तथा 23 मई 2020 तक वैध	एफडी, पीए, आई डी तथा ड्राई सक्रबर एपलिकेशन के लिए विभिन्न पिच एक्सिल फ्लोफेनों के विनिर्माण हेतु	1
11	मै. मेसटो आटोमेशन इंक. फिनलैण्ड	18 दिसम्बर 2000 तथा सितम्बर 2019 तक वैध	न्यू जेनरेशन सी एण्ड आई आटोमेशन प्लेटफार्म के निर्माण हेतु	1
12	मै. जीई इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, इण्डिया	नवम्बर 2010 तथा नवम्बर 2017 तक वैध	वाटर ट्रीटमेन्ट उपकरण के निर्माण हेतु	1